

(69)

संख्या 1381/सी.एम./9-आ-5-18 मिस/88

प्रेषक, विजय शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 1994

विषय: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/ भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 3840/11-5-86-18 मिस/78 दिनांक 4.6.86 में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षित वर्गों के लिए उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

क्र०सं०	वर्ग	आरक्षण का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति जाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	5
6.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	1

2. उक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों की विहित दरों में किसी प्रकार की कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

3. जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है, इनकी सूची उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है।) इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, उनके लिए आरक्षित भवनों/भूखण्डों की संख्या से कम होती है तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

5. उक्त आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

विजय शर्मा
सचिव

